प्रकाशन के लिए अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 3799/2005

याचिकाकर्ता नासिर खान

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादीगण मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़) एवं अन्य

दिनांक 10 मार्च, 2011 को निर्णय एवं आदेश सुनाए जाने हेतु सूचीबद्ध करें।

सही/-

सतीश कुमार अग्निहोत्री

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 3799/2005

याचिकाकर्ता नासिर खान

बनाम

उत्तरवादीगण मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़.) एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एकल पीठ : सतीश कुमार अग्निहोत्री

न्यायाधीश

उपस्थित :- याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के.ए.अंसारी अधिवक्ता, श्री विपिन सिंह अधिवक्ता, राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री सुशील दुबे।

(10 मार्च, 2011 को प्रदत्त)

1. इस याचिका में दिनांक 22.1.1998 के आदेश की वैधता और विधिकता को चुनौती दी गई है, जिसके तहत यह अवधारित किया गया था कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति गलती से दर्शाए गए दो पदों पर नियमित वेतनमान पर की गई थी, जबकि वाहन चालक का केवल एक ही पद उपलब्ध था। इसलिए, वर्ष 1996 में पारित नियमितीकरण आदेश को रद्द किया जाए। इसके अलावा, दिनांक 20.2.1998 के आदेश को भी चुनौती दी गई है, जिसके तहत दिनांक 20.8.1996 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता के नियमितीकरण रद्द कर दिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. संक्षेप में, संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को प्रारंभिक रूप से 15.12.1988 को साक्षात्कार के आधार पर 89 दिनों की अवधि के लिए दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त किया गया था (अनुलग्नक ए-4)। इसके बाद, समय-समय पर पारित आदेशों के तहत, वह 89 दिनों तक दैनिक वेतन के आधार पर कार्यरत रहा। 28.3.1992 को (अनुलग्नक ए-17) याचिकाकर्ता को यह स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया कि वह किस आदेश के आधार पर कार्यरत था; जबकि 89 दिनों की अवधि के लिए उसकी नियुक्ति 28.2.1992 को समाप्त हो गई थी।

3. याचिकाकर्ता ने 30.3.1992 को अपना जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि उसे 27.12.1991 के आदेश द्वारा 89 दिनों के लिए नियुक्त किया गया था और उस पर आधार पर, वह इस रूप में जारी रहा। उन्हें परियोजना प्रशासक, हसदेव आयाकट विकास प्राधिकरण,

बिलासपुर (इसके बाद "प्राधिकरण" के रूप में संदर्भित) द्वारा 06.04.1992 को फिर से सूचित किया गया था (अनुलग्नक पी -19) कि दैनिक वेतन के आधार पर 89 दिनों के लिए उनकी अंतिम नियुक्ति समाप्त हो गई थी। इसलिए, याचिकाकर्ता को सेवामुक्त करने का निर्देश दिया गया था। 27.04.1992 को (अनुलग्नक ए -20), याचिकाकर्ता द्वारा 29.02.1992 से 06.04.1992 तक किए गए कार्य के लिए भुगतान स्वीकृत किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है, कि याचिकाकर्ता व्यथित होने के कारण, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, बिलासपुर के समक्ष आवेतन क्रमांक 79 एम.पी.आई.आर. 92. प्रस्तुत किया श्रम न्यायालय ने 20.10.1993 (अनुलग्नक A-22) को आदेश पारित कर याचिकाकर्ता को बहाल करने का निर्देश दिया, क्योंकि याचिकाकर्ता का सेवामुक्ति विधिसम्मत नहीं था। इसके अनुसरण में, याचिकाकर्ता को औद्योगिक न्यायालय के समक्ष लंबित अपील के निर्णय के अधीन, दिनांक 10.01.1994 (अनुलग्नक A-24) के आदेश द्वारा पुनः नियुक्त किया गया। श्रम न्यायालय के दिनांक 20.10.1993 (अनुलग्नक A-22) के आदेश को औद्योगिक न्यायालय ने 30.03.1994 (अनुलग्नक A-25) को अपास्त कर दिया और पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद मामले को नए सिरे से विचार के लिए प्रतिप्रेरित कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4.याचिकाकर्ता ने सेवा नियमितीकरण के लिए 17.06.1996 को आवेदन किया (अनुलग्नक A-26), क्योंकि उसके अनुसार, उसे कलेक्टर दर पर आकस्मिक निधि से दैनिक वेतन पर नियुक्त किया गया था। परियोजना प्रशासक, प्राधिकरण द्वारा याचिकाकर्ता को सूचित किया गया कि

नियमितीकरण का उसका मामला विचाराधीन है। इसके बाद, श्रम न्यायालय में लंबित मामला 2.7.1996 को वापस ले लिया गया (अनुलग्नक A-30)।

5. आयुक्त-सह-अध्यक्ष, प्राधिकरण ने दिनांक 20.08.1996 के आदेश (अनुलग्नक ए-31) द्वारा याचिकाकर्ता की सेवाओं को नियमित वेतनमान पर नियमित प्रतिष्ठान में एक शर्त के साथ नियमित कियाउनकी सेवाएं किसी भी समय एक माह के नोटिस पर समाप्त की जा सकती हैं। तत्पश्चात्, दिनांक 20.2.1998 के आक्षेपित आदेश द्वारा याचिकाकर्ता का नियमितीकरण निरस्त कर दिया गया। अतः, यह याचिका प्रस्तुत है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. इस याचिका के लंबित रहने के दौरान, यह सूचित किया गया कि याचिकाकर्ता को जीएडी परिपत्र दिनांक 9.1.1990 के अनुसार, दिनांक 19.1.2006 के आदेश द्वारा नियमित कर दिया गया है।

7. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अंसारी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता की दैनिक वेतनभोगी आधार पर नियुक्ति विधि के अनुसार हुई थी, क्योंकि याचिकाकर्ता का नाम रोजगार कार्यालय द्वारा भेजा गया था। इस प्रकार, याचिकाकर्ता की नियुक्ति अवैध नहीं, बल्कि अनियमित थी। चूँकि याचिकाकर्ता की नियुक्ति अनियमित थी, इसलिए

याचिकाकर्ता का नियमितीकरण विधि के अनुसार हुआ था और इसे सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना रद्द नहीं किया जा सकता था।

8. श्री अंसारी ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति उचित चयन के माध्यम से हुई थी, क्योंकि याचिकाकर्ता को दैनिक वेतन के आधार पर 15.12.1998 के आदेश द्वारा नियुक्त करने से पहले 26.9.1988 को उनका साक्षात्कार लिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. दूसरी ओर, राज्य/प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री दुबे ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति 89 दिनों की अवधि के लिए दैनिक वेतन के आधार पर हुई थी और उसके बाद, याचिकाकर्ता को सेवा से हटा दिया गया। याचिकाकर्ता को इस गलत धारणा के आधार पर नियमित किया गया था कि चालक के दो पद उपलब्ध हैं। वास्तव में, केवल एक ही पद था और इसलिए, अधीक्षण अभियंता द्वारा प्राधिकरण के आयुक्त-सह-अध्यक्ष को सूचित किया गया कि याचिकाकर्ता का नियमितीकरण गलत था और इसलिए, नियमितीकरण रद्द करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि नियमित स्थापना में चालक के दो पद उपलब्ध नहीं थे।तत्पश्चात्, दिनांक 20.2.1998 का आक्षेपित आदेश पारित किया गया।

10. श्री दुबे ने आगे कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता की नियुक्ति दैनिक वेतनभोगी के आधार पर हुई थी, जो रोजगार की संवैधानिक योजना या विधि के अनुसार नहीं थी, इसलिए वर्ष 1996 में याचिकाकर्ता का नियमितीकरण, अन्यथा भी, कार्यकारी निर्देशों द्वारा अनुमत नहीं था, क्योंकि यह

विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि केवल अनियमित नियुक्तियों को ही नियमित किया जा सकता है और न ही अवैध नियुक्ति को, क्योंकि अवैध नियुक्ति गैर-कानूनी है। हालांकि, तथ्यों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, याचिका के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता को 19.1.2006 के आदेश द्वारा नियमित किया गया था, इस प्रकार, यह याचिका निष्फल हो गई है।

11. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि यदि 28.8.1996 के आदेश द्वारा प्रथम नियमितीकरण कायम रहता है, तो याचिकाकर्ता नियमितकरण और वरिष्ठता का हकदार होगा, इस आधार पर खारिज किया जा सकता है कि अवैध नियुक्ति को नियमित नहीं किया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने, अभिवचनो और संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि दैनिक वेतन के आधार पर याचिकाकर्ता की नियुक्ति विधि के अनुसार नहीं थी और यह रोजगार की संवैधानिक योजना के विरुद्ध थी। याचिकाकर्ता भी यह साबित करने में विफल रहा है कि उसकी नियुक्ति विधि के अनुसार थी, उसका चयन रोजगार कार्यालय में पंजीकरण के आधार पर किया गया था और याचिकाकर्ता का नाम नियोक्ता द्वारा चालक के पद पर नियुक्ति के लिए सभी योग्य उम्मीदवारों को भेजने के अनुरोध के अनुसरण में प्रायोजित किया गया था। इस प्रकार, याचिकाकर्ता की प्रारंभिक नियुक्ति रोजगार की संवैधानिक योजना या विधि के अनुरूप नहीं थी

13. श्री अंसारी का यह तर्क कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति उचित चयन के माध्यम से हुई थी, क्योंकि 89 दिनों के लिए दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्ति से पहले प्राधिकारी द्वारा उनका साक्षात्कार लिया गया था, इस साधारण आधार पर खारिज किया जाता है कि यदि चयन सभी योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करके या रोजगार कार्यालय से चयन के लिए सभी योग्य उम्मीदवारों के नाम भेजने के अनुरोध पर खुली चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया गया होता, तो याचिकाकर्ता का मामला उचित चयन होता। न तो यह तर्क दिया गया है और न ही साबित किया गया है कि प्राधिकारी के अनुरोध पर रोजगार कार्यालय ने सभी योग्य उम्मीदवारों के नाम चयन के लिए भेजे थे। इस प्रकार, नियुक्ति रोजगार की संवैधानिक योजना के अनुरूप नहीं थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. बिहार राज्य बनाम उपेन्द्र नारायण सिंह एवं अन्य 1 मामले में, जिसमें समान मुद्दा विचाराधीन था, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की थी:-

"25. अनुच्छेद 16 में निहित समानता खंड यह अनिवार्य करता है कि लोक पदों या कार्यालय में प्रत्येक नियुक्ति खुले विज्ञापन द्वारा की जानी चाहिए ताकि सभी पात्र व्यक्ति योग्यता के आधार पर चयन के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकें उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य, यूपीएससी बनाम गिरीश जयंती लाल वाघेला, मणिपुर राज्य बनाम वाई टोकन सिंह और नगर निगम, हैदराबाद बनाम पी. मैरी मनोरंजनी। हालाँकि, न्यायालयों ने इस नियम के लिए कुछ अपवाद निकाले हैं, उदाहरण के लिए, मृतक कर्मचारियों के आश्रित की अनुकंपा नियुक्ति, इस मामले के प्रयोजन के लिए उस पहलू को विस्तृत करना आवश्यक नहीं है।

31. उपर्युक्त तीनों निर्णयों का तात्पर्य यह है कि 1959 के अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, प्रत्येक लोक नियोक्ता संबंधित रोजगार कार्यालय को रिक्तियों की सूचना देने के लिए बाध्य है, ताकि वह पात्र उम्मीदवारों के नाम प्रायोजित कर सके और व्यापक प्रसार वाले समाचार पत्रों, रोजगार समाचार बुलेटिनों में विज्ञापन दे सके, रेडियो और टेलीविजन पर घोषणा करवा सके और उन सभी पात्र उम्मीदवारों पर विचार कर सके जिनके नाम संबंधित रोजगार कार्यालय द्वारा अग्रेषित किए जा सकते हैं और/या जो विसमाचार पत्रों में प्रकाशित या रेडियो/टेलीविजन पर की गई घोषणाओं के आधार पर आवेदन कर सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

60. हमारी राय में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के तर्क में कोई बल नहीं है। यदि प्रतिवादियों की प्रारंभिक नियुक्तियाँ स्वयं अवैध पाई जाती हैं, तो उनकी सेवाओं के तथाकथित नियमितीकरण के आधार पर, पारिणामिक लाभों के साथ उनकी बहाली के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश को स्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि प्रतिवादियों की नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा विज्ञापन जारी करके या रोजगार कार्यालय को अधियाचना भेजकर की गई होती ताकि रोजगार कार्यालय पात्र व्यक्तियों के नाम प्रायोजित कर सके, तो उन्होंने निश्चित रूप से उच्च न्यायालय या कम से कम इस न्यायालय के समक्ष सुसंगत दस्तावेज़ प्रस्तुत किए होते। हालाँकि, तथ्य यह है कि प्रतिवादियों की नियुक्तियों को वैधता प्रदान करने वाला कोई भी दस्तावेज़ उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

15. अस्थायी, तदर्थ और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में वेतन कर्मचारी, राजस्थान राज्य और अन्य में सर्वोच्च न्यायालय बनाम दया लाल एवं अन्य 2 में निम्नानुसार निर्णय दिया गया:-

"12. हम सर्वप्रथम नियमितीकरण और वेतन में समानता से संबंधित निम्नलिखित सुस्थापित सिद्धांतों का उल्लेख कर सकते हैं, जो इन अपीलों के संदर्भ में सुसंगत हैं:

या (i) उच्च न्यायालय, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, नियमितीकरण संविलियन, या स्थायी निरंतरता के लिए निर्देश जारी नहीं करेंगे, जब तक कि नियमितीकरण का दावा करने वाले कर्मचारियों को स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध एक खुली प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया मे सुसंगत नियमों के अनुसार नियमित भर्ती के अनुसरण में नियुक्त नहीं किया गया हो। अनुच्छेद 14 और 16 में निहित समानता खंड का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए और अदालतों को किसी कर्मचारी की सेवाओं के नियमितीकरण के लिए निर्देश जारी नहीं करना चाहिए जो संवैधानिक योजना का उल्लंघन होगा। जबकि चयन की प्रक्रिया में तत्वों में से किसी एक के अनुपालन की कमी के कारण अनियमित कुछ ऐसा है जो प्रक्रिया की जड़ तक नहीं जाता है, उसे नियमित किया जा सकता है, पिछले दरवाजे से प्रविष्टियां, संवैधानिक योजना के विपरीत नियुक्तियां और/या अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति को नियमित नहीं किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ii) न्यायालय के कुछ अंतरिम आदेशों के तहत किसी अस्थायी या तदर्थ या दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी द्वारा सेवा जारी रखने मात्र से उसेज्ञापन के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। सेवा में समाहित होने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ऐसी सेवा "विवादास्पद रोजगार" होगी। लंबे समय तक अस्थायी, तदर्थ या दैनिक वेतन पर की गई सेवा, एक या दो साल की सेवा की तो बात ही छोड़ दें, ऐसे कर्मचारी को नियमितीकरण का दावा करने का अधिकार नहीं देगी, अगर वह स्वीकृत पद के विरुद्ध काम नहीं कर रहा है। विधि अधिकार के अभाव में सहानुभूति और भावना नियमितीकरण के किसी भी आदेश को पारित करने का आधार नहीं हो सकती।

(iii) xxxxxxx

(iv) xxxxxxx

(v) xxxxxxx

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि 20.2.1998 का नियमितीकरण रद्द करना विधि सम्मत रूप से अनुचित है, क्योंकि यह राज्य सरकार की नीति के विपरीत है, जो दिनांक 9.1.1990 के परिपत्र (अनुलग्नक R-2) में निहित है, स्वीकार करने योग्य नहीं है। याचिकाकर्ता की नियुक्ति, जैसा कि पूर्ववर्ती अनुच्छेद में कहा गया है, रोजगार की संवैधानिक योजना के विरुद्ध थी और इस प्रकार, अवैध थी। इस प्रकार, याचिकाकर्ता राज्य सरकार द्वारा जारी दिनांक 9.1.1990 के परिपत्र का लाभ नहीं उठा सकता, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया था।

17. उत्तम न्यायलय शासकीय परिसमापक बनाम दयानंद एवं अन्य 3 मामले में निम्नलिखित निर्णय दिया:

"**70**. न्यायालय के दृष्टिकोण में परिवर्तन ए. उमरानी बनाम को-ऑप. सोसाइटीज मामले में अधिक स्पष्ट हुआ, जिसका निर्णय तीन न्यायाधीशों की पीठ ने किया, जिसमें यह अवधरित किया गया कि राज्य अनिवार्य वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन में की गई नियुक्तियों के नियमितीकरण के लिए संविधान के अनुच्छेद 162 का सहारा नहीं ले सकता।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. उपर्युक्त कारणों से, याचिकाकर्ता दिनांक 20.2.1998 के आक्षेपित आदेश द्वारा अवैध नियुक्तियों के नियमितीकरण को रद्द करने से पहले किसी भी सुनवाई का हकदार नहीं था दिनांक 19.1.2006 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को बाद में नियमित कर दिया गया है। न्यायालय उक्त आदेश पर कोई राय व्यक्त नहीं करता, क्योंकि यह इस न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

19. पूर्वोक्त के मद्देनजर, रिट याचिका खारिज की जाती है वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही/-

सतीश कुमार

अग्निहोत्री न्यायाधीश

<u>अस्वीकरण:</u> हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By- Ayush Tripathi, Advocate